



2026:AHC:12958

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट याचिका-सी संख्या - 254 सन् 2026

रामलखन सिंह

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव

प्रतिवादी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, प्रदीप सिंह

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया,

1. कुछ बहस के बाद, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने याचिका को वापस लिए जाने के आधार पर खारिज करने की प्रार्थना की है, जिसमें याचिकाकर्ता को संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी गई है।
2. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने इस प्रार्थना का विरोध नहीं किया है।
3. तदनुसार, याचिका को वापस लिए जाने के आधार पर खारिज किया जाता है, जिसमें याचिकाकर्ता को अनुरोधित स्वतंत्रता दी गई है।

(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)

19 जनवरी, 2026

सकलैन